

धारा 23-क की उपधारा(1) के खण्ड (क) के अधीन विकास/परिक्षेत्रिक योजना में उपांतरण हेतु आवेदन- प्ररूप

प्रति,

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म0प्र0भोपाल।

हम धारा 23-क की उपधारा(1) के खण्ड (क) के अधीन विकास /योजना में उपांतरण हेतु निम्नलिखित आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

कं.	विवरण	जानकारी	रिमार्क
1	2	3	4
	(क)	शासकीय विभाग/कार्यालय का नाम	
	(ख)	डाक का पता	
	(ग)	ई-मेल आई.डी.	
	(घ)	मोबाईल नम्बर	
	(ड.)	दूरभाष नम्बर	
	(च)	फैक्स नम्बर	
2	-	भूमि स्वामी का विवरण (भूमि स्वामी न हो तो)	(पी-2 फार्म में उल्लेख अनुसार)
	(क)	भूमि स्वामियों का नाम	
	(ख)	डाक का पता	
	(ग)	ई-मेल का पता	
	(घ)	दूरभाष नम्बर	
	(च)	फैक्स नम्बर	
3	-	उपांतरण हेतु आवेदित भूमि का विवरण	
	(क)	जिला	
	(ख)	तहसील	
	(ग)	ग्राम	
	(घ)	नगरपालिका सीमा के अन्दर या बाहर	
	(ड.)	खसरा नम्बर रकबा एवं भूमि उपयोग	
	(च)	सम्पूर्ण क्षेत्र हेक्टेयर में	
4	क0	खसरा/सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
			विकास योजना में भूमि उपयोग
			वांछित भूमि उपयोग उपांतरण
5.	-	वांछित उपांतरण का कारण	

कृपया प्रश्नाधीन भूमि के भूमि उपयोग/विकास मापदण्डों को शासकीय/अर्द्धशासकीय/ शासकीय उपक्रम/नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी/स्थानीय निकाय के प्रयोजन हेतु उपांतरित करने का कष्ट करे। इस हेतु आवश्यक दस्तावेज परिशिष्ट 1 में उल्लेखानुसार स्वप्रमाणित कर संलग्न है।

मैं अधोहस्ताक्षर कर्ता प्रमाणित करता हूँ कि मैं यह आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत हूँ।

दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम-.....

पदनाम-.....

कार्यालय का नाम-.....

पता -.....

परिशिष्ट-1

धारा 23-क की उपधारा(1) के खण्ड (क) के अधीन आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

निम्नलिखित दस्तावेज स्वप्रमाणित कर आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न है :-

क्र०		दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ संख्या (.....से.....तक)
1	2	3	4
1		भूमि स्वामित्व के दस्तावेज-	
	(क)	भूमि आरक्षण आदेश	
	(ख)	भूमि आवंटन आदेश	
	(ग)	भूमि अधिग्रहण के संबंधी दस्तावेज	
	(घ)	भूमि का कब्जानाम	
	(ङ.)	अद्यतन खसरा पाचसाला पी-II प्ररूप (प्रमाणित)	
2	-	वर्तमान भूमि स्वामी की भूमि उपयोग बदलने के लिये सहमति (यदि आवेदक स्वामी न हो)	
3	-	नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जारी किया गया भूमि उपयोग प्रमाण पत्र।	
4	-	भूमि का विवरण-	
	(क)	प्रश्नगत भूमि के सर्वे/खसरा क्रमांक दर्शाते हुये खसरा प्लान जिसमें प्रश्नगत भूमि के सभी ओर उसकी बाहरी सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाली भूमियों के खसरा नम्बर भी दर्शाए गए हो। (प्रश्नगत भूमि को, मानचित्र/प्लान में लाल रंग से दर्शाया जावे)	
	(ख)	प्रश्नगत भूमि, मुख्य पहुँच मार्ग (विद्यमान एवं प्रस्तावित), महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन, जल निकास तथा भूमि के आसपास विद्यमान उपयोग को उपदर्शित करते हुये रेखांक	
	(ग)	सर्वेक्षण योजना (मापमान 1:500 से 1:2000 जिसमें निम्न जानकारी दर्शित हो 1.प्रश्नाधीन भूमि की सीमा 2.प्रश्नाधीन भूमि की सीमा की माप 3.स्वाभाविक लक्षण जैसे ढलान 4. दो मीटर के अन्तराल पर कंटूर योजना 5. नाला/नदी/तालाब/नहर 6.बिजली एवं दूरभाष की लाइनें एवं खम्बें 7.रेल्वे लाईन/रेल्वे बाउन्ड्री 8.ऐसे अन्य लक्षण जिनका समन्वय किया जाना आवश्यक हो दर्शाये जाए जैसे सीवर लाईन, जल प्रदाय लाईन, को-आडिनेशन मार्ग इत्यादि	

5	—	भूमि के विकास का समान्य परियोजना प्रतिवेदन	
	1	भूमि स्वामित्व का विवरण	
	2	लोकेशन प्लान	
	3	साईट प्लान	
	4	विकास प्रस्ताव दर्शाने वाला अभिन्यास (शहरी योजना/यातायात योजना/पर्यावरण योजना)	
	5	प्रस्तावित इमारतों भवन योजना मानचित्र	
	6	अधोसंरचनात्मक योजना रेखाचित्र, जैसे जल प्रदाय, मल वहन, विद्युतीकरण, जल निकास, अग्नि सुरक्षा रेत, वाटर हार्वेसटिंग, कचरे का व्ययन, उपचार संयंत्र (जल/मलवहन/कचरा) खराब पानी का पुनःचक्रण।	
6	—	प्रस्तावित विकास का पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन एवं उसके रोकथाम के उपाय	
7	—	रोजगार बढ़ाने, लोगों के सुविधायें में वृद्धि, क्षेत्र की पर्यावरण गुणवत्ता, तथा प्रस्तावित उपयोग का हिताधिकारी को जीवन के गुणों में सुधार के संबंध में प्रस्तावित विकास दर्शाने वाला प्रतिवेदन।	
8	—	परियोजना लागत निर्धारण। 1.बाहय अवसंरचना उन्नयन की लागत सडक, 2.जल प्रदाय मल इत्यादि के संदर्भ में बाहय अवसंरचना का उन्नयन	
9	—	आर्थिक ठहराव एवं निवेश योजना तथा परियोजना की समाप्ति की संभावित समय सीमा	
10.	—	क्रियान्वयन की अवस्थाएं (यदि चरणों में हो)	
11	—	विभाग द्वारा उपांतरण हेतु आवेदन करने के लिए दिया गया प्राधिकार पत्र	

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम—.....

पदनाम—.....

कार्यालय का नाम—.....